फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम–रुपनगढ, जिला–अजमेर

गणेश बनाम बिरदीराम उर्फ बिरदा

किस्म मुकदमा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नम्बर– 45 वर्ष–2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.5.2024	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से वकील श्री अरविन्द दाधीच ने अन्तर्गत धारा–212 रा0 का0 अधि0 के तहत पेश किया गया। वकील प्रार्थी की अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत् एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। तदनुसार ग्राम रूपनगढ के खाता संख्या 949 के ख0न0 234 रकबा 0.9060, है0 ख0न0 235 रकबा 0.0404 है0, ख0न0 236 रकबा 0.7928 है0, ख0न0 237 रकबा 0.6148 है0 तथा खाता संख्या 2386 के ख0न0 1370 रकबा 8.0495 भूमि में अप्रार्थीगण आगामी तारीख पेशी तक वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी संख्या 1 के हिस्से तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे व बैचान, बख्शीस, हस्तान्तरण आदि नही करेंगे। उक्तानुसार अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। वकील प्रार्थी आदेश 39 नियम 3 सी0पी0सी0 की पालना सुनिश्चित करेंगे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस की जाकर पत्रांवली दिनांक 28.06.2024 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)	
28-6-24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकाराम उप. P.O. साहब दौरे/अवकाश पर पधारे है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6-9-24 को पेश हो।	
9-9-24	प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र बाबत धारा 151 सी.पी.सी. के तहत राजस्व प्रार्थना-पत्र को विड्रा करने बाबत तथा नये तथ्यों के साथ पुनः राजस्व प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने बाबत पेश करने पर पत्रावली तलब की गयी। उक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी व वकील प्रार्थी को सुना गया। तदनुसार उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी जरिये [illegible] जिसकी पश्चात् वकील प्रार्थी [illegible] की गयी। चूंकि मूल [illegible] दाखिल किया जा चुका [illegible] में कोई कार्यवाही [illegible] नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ (अजमेर)	[illegible] Admitted by me [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2024.09.24 13:20:59 IST
Reason: SelfAttested